ज्ञान तत्व (200)

(क) महिला पुरूष संबंधो पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से विवाह, वाल विवाह वैश्यावृत्ति आदि अनावश्यक कानून निरर्थक।
(ख) गोविंदाचार्य जी से हमारे संबंधों की समीक्षा विशेषककर नक्सलवाद पर ।
(ग) सांसदों का सिफारिशी कोटा और दुरूपयोग।
(ध) हिंदू मुसलमान संबंधों पर बीर सावरकर का प्रस्ताव।
(च) केतन देसाई बुटा सिंह आदि के भ्रष्टाचार और समाधान।
(छ) मेवाड में सम्पन्न गांधी कथा में सर्वोदय और संघ प्रमुख एक साथ।

(क) महिला पुरूष संबंध और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

पूरी दुनिया में आदर्श व्यवस्था वह होती है जिसमें व्यक्ति,परिवार, राज्य और समाज के अधिकारों का संतुलित विभाजन हो । दुनिया में जहॉ कहीं भी इस अधिकार संतुलन को अस्वीकार करके व्यक्ति जाति, धर्म और राज्य के अधिकार विभाजन को स्वीकार किया गया उन सभी देशों में अशान्ति और अव्यवस्था अवश्यंभावी है । अब तक पूरी दुनिया में आदर्श व्यवस्था तो स्थापित नहीं हो सकी किन्तु भारत एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जहॉ पूरी तरह अशान्ति और अव्यवस्था छायी हुई है । हम भारत की इस अव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते रहते हैं किन्तु व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है क्योंकि असंतुलन का आधार भारतीय संविधान का वह स्वरूप है जो मूल रूप से व्यक्ति परिवार राज्य और समाज के आधार पर न बनकर व्यक्ति, जाति,धर्म और राज्य के रूप में बना । अर्थात् संविधान से परिवार और समाज को बाहर निकाल कर जाति और धर्म को शामिल कर दिया गया । यह भूल किसने की , क्यों की, परिणाम क्या हुआ आदि विषय तो इस लेख से भिन्न हैं किन्तु भूल हुई यह निर्विवाद है और इस भूल को ठीक किये बिना किसी सुधार के लक्षण नहीं दिख सकते ।

ऐसे ही संकट काल में सुप्रीम कोर्ट ने एक साधारण सा प्रभावकारी दिखने वाला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि किसी बॉलिग स्त्री पुरूष के लिये एक साथ रहने में विवाह की धार्मिक या कानूनी अनिवार्यता आवश्यक नहीं है । इसके पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया था । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दो भाग हैं 1. बिना विवाह के एक साथ रहना किसी भी कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं है 2. यह संबंध अनैतिक भी नहीं है क्योंकि राधा और कृष्ण भी बिना विवाह के साथ रहते थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पहला भाग निष्कर्ष रूप में है और दूसरा उदाहरण रूप में । फिर भी विचारणीय तो दोनों है ही । समाज में दो विपरीत विचार पैदा हुए 1. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अनुचित है क्योंकि इस तरह परिवार व्यवस्था को तोड़ देने से समाज में अव्यवस्था फैल जायेगी 2. फैसला ठीक है क्योंकि बालिग स्त्री पुरूषों के निर्णय की स्वतंत्रता में कोई बाधा क्यों हो ।

स्त्री पुरूष के अनियंत्रित संबंध समाज में अव्यवस्था पैदा करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे । ये संबंध सिर्फ शारीरिक संबंध मात्र तक सीमित नहीं होते । इनका जन्म से मृत्यु तक पारिवारिक और सामाजिक संबंध भी है । इस संपर्क के परिणाम स्वरूप ही भविष्य में संतान पैदा होती है । यदि स्त्री पुरूष संबंध अव्यवस्थित होंगे तो संतान के लालन पालन शिक्षा दीक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा । परिवार व्यवस्था के टूटने से वृद्ध सदस्यों के मामलों में भी दिक्कत आनी ही है । परिवार व्यवस्था को तोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होंगे ही । शायद न्यायालय ने इस पक्ष पर गौर नहीं किया । मेरा

विचार है कि स्त्री पुरूष संबंधों में पूर्ण स्वतंत्रता को निरूत्साहित करना चाहिये । किन्तु इन मामलों में कानून का हस्तक्षेप तो और भी ज्यादा घातक होता है क्योंकि राज्य ऐसा करने में न समर्थ है न हो सकता है और कानून की मंशा भी समाज व्यवस्था को मजबूत बनाने की न होकर कमजोर करने की रही है । राज्य समाज का सहायक तो हो सकता है परन्तु विकल्प नहीं बन सकता । पुराने जमाने में समाज मजबूत था और राज्य का हस्तक्षेप लगभग शून्य था तब परिवार व्यवस्था इतनी छिन्न भिन्न नहीं थी जितनी आज है । राज्य ने सब काम अपने जिम्मे लेकर समाज व्यवस्था को तो शिथिल कर दिया और खुद उससे सम्हल नहीं रहा है । राज्य यदि विवाह और स्त्री पुरूष संबंधों पर अपनी इतनी ताकत खर्च करेगा तो चोरी डकैती मिलावट और बलात्कार कौन रोकेगा । एक ऐसी मरियल राज्य व्यवस्था जिसके नख से शिख तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त है वह स्त्री पुरूष संबंधों को संतुलित बनाये रखने का दायित्व भी ले ले यह उसकी बदमाशी ही मानी जायेगी क्योंकि न वह मरियल व्यवस्था अपराध रोक पायेगी न ही स्त्री पुरूष संबंध ठीक कर पायेगी।

मेरे विचार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है । राज्य ने अनावश्यक हस्तक्षेप कर कर के इस व्यवस्था को ही अव्यवस्थित कर दिया था । विवाह की उम्र, दहेज का लेन देन , स्त्री, पुरूष आबादी का असंतुलन , महिला उत्पीड़न , महिला हीन भावना निवारण, आदि हजारों कानून बना बना कर परिवार व्यवस्था का कानूनों ने कचूमर निकाल दिया था । निकम्मे कानून अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिये और कानून बनाते थे । ये कानून समाज को और अधिक गुलाम बनाने में तो सफल होते थे किन्तु समाज में व्यवस्था बनाने में सफल कभी न हुए हैं न होंगे क्योंकि कानून कभी समाज व्यवस्था के विकल्प नहीं हो सकते । कानून बीमारी की दवा हैं टानिक नहीं ।दुर्भाग्य से दवा ही अपने को टानिक समझने लगी है । दवा के साइड इफेक्ट को तो टानिक कम कर सकता है किन्तु टानिक का साइड इफेक्ट कौन ठीक करेगा । राज्य सामाजिक मामलों में नित नये नये हस्तक्षेप के कानून बना बना कर साइड इफेक्ट के रूप में भ्रष्टाचार का समुद्र पैदा कर रहा है । इसका समाधान कौन करेगा ।

मैं तो बीस तीस वर्ष पूर्व से ही लगातार लिखता रहा हूॅ कि परिवार के पारिवारिक और समाज के सामाजिक मामलों में सरकार को कोई कानून नहीं बनाना चाहिये । मेरे विचार में स्त्री पुरूष संबंध भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है जो कानून के हस्तक्षेप से बाहर रहना चाहिये । इतने वर्षो बाद न्यायालय ने लिव इन रिलेशन शिप आदेश देकर पहल की है । न्यायालय ने जो फैसला दिया वह क्या सोचकर दिया यह मुझे नहीं पता किन्तु इस फैसले का दूरगामी प्रभाव होगा । सरकार के सैकड़ो अनावश्यक कानून प्रभावहीन हो जायेगें । बाल विवाह का कानून महत्व खो देगा । ना बालिग लड़के लड़की बिना विवाह किये साथ रहेंगे तो आपका कानून क्या करेगा ? सन्तानोत्तपत्ति का लेखा जोखा भी कठिन होगा । भ्रूण हत्या भी प्रमाणित करना आसान नहीं होगा । अनिवार्य विवाह पंजीकरण कानून भी धूल चाटता नजर आयेगा । तलाक के जटिल कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी वैश्यावृत्ति संबंधी कानून भी धीरे धीरे प्रभाव हीन हो जायेगे । पारिवारिक सम्पत्ति के बटवारे के भी नये नियम बनाने होंगे । धीरे धीरे पता चलेगा कि कहॉ कहॉ और कितना प्रभाव होगा किन्तु होगा अवश्य इतना निश्चित है और जो भी होगा वह समाज में भले ही थोड़ी सी उच्श्रृंखलता बढ़ावे किन्तु राज्य की गुलामी से तो मुक्ति अवश्य दिलायेगा ।

न्यायालय के इस निर्णय का बहुत ब्यापक विरोध नहीं हुआ क्योंकि तथा कथित धर्म गुरूओं या चरित्र के ठेकेदारों को इसके दूरगामी प्रभाव का आभास ही नहीं हुआ । मीडिया ने भी इसे ज्यादा नहीं उछाला । अंग्रेजी शब्द होने से वैसे भी सामान्य लोगों को कम समझ में आया । एक बात और

है कि नासमझ धर्म गुरूओं ने धारा तीन सौ सतहत्तर के हटाने पर भरपूर विरोध करके अपनी ताकत आजमा ली थी । वह भी तो ऐसा ही मामला था । वहीं से थक थुका कर ये इतने पस्त थे कि इस मामले से दूर ही रहना ठीक समझे । संघ परिवार उठाता तो वह अभी भाजपा सशक्तिकरण में व्यस्त है । रामदेव जी भी राजनैतिक उठा पटक में ही लगे हैं । इसलिये यह मामला तूल नहीं पकड़ा । राजनेताओं को अब तक आभास ही नहीं है कि इस निर्णय का इतना दूरगामी परिणाम होगा । वे तो लिव इन रिलेशनशिप मात्र ही मानकर चल रहे हैं । किन्तु उन्हें जब पता चलेगा कि इस फैसले से उनके कानूनी हस्तक्षेप में कमी आयेगी तथा सामाजिक गुलामी कम होगी तो वे अवश्य कोई न कोई तिकड़म करेंगे । सैकड़ों वर्षो से समाज को गुलाम बनाने के प्रयत्नों को वे इतनी आसानी से ध्वस्त नहीं होने देंगे । अभी तो सुगबुगाहट नहीं है किन्तु आगे क्या होगा यह पता नहीं । यदि कोई धार्मिक सामाजिक संगठन आगे आया तब तो नेता इसे अवश्य ही उठा लेगा इतना निश्चित है। क्योंकि ये नेता और धर्म गुरू किसी न किसी तरह समाज को समझाने में सफल हो सकते हैं कि इस फैसले से परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था टूटेगी जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। भारत की परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को तोड़ने में कानून और राज्य ने ही सारी पहल की है । यदि भारत पर ऐसा रद्दी संविधान न थोपकर कोई ऐसा संविधान बनाया जाता जिसमें परिवार व्यवस्था गांव व्यवस्था समाज व्यवस्था में कानूनों का न्यूनतम हस्तक्षेप होता तो ऐसी अव्यवस्था नहीं होती जैसी आज है । हुआ यह कि अंग्रेजो के कार्य काल में महापुरूषों का समाज पर प्रभाव घटता गया । राजनैतिक सत्ता के दलाल महापुरूष का खिताब पा पाकर सरकार से कानूनों की मांग करने लगे और सरकार नये नये कानून थोपने लगी । स्वतंत्रता के बाद तीन महापुरूषों से कुछ उम्मीदें बंधी थी **1.** संत विनोबा भावे **2**. श्री राम शर्मा **3.** बाबा रामदेव । विनोबा जी सरकारी संत बन गये, श्री राम शर्मा जी रहे नहीं और रामदेव जी स्वयं ही राजा बनने की राह पर चल पड़े तो सोचिये कि राज्य के निष्कंटक होने में बाधा क्या है ?

मै जानता हूँ कि सरकारें और प्रभावहीन धर्मगुरू इतनी आसानी से मानेंगे नहीं किन्तु समाज को भी जागरूक बनाने की जरूरत होगी । समाज को समझाना होगा कि सामाजिक अव्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं बढ़ा है बल्कि इसके उलट सच्चाई यह है कि कानूनी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप सामाजिक अव्यवस्था बढ़ी है । सरकार के हटने से होने वाला नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना सरकारी हस्तक्षेप से होने वाला नुकसान । इस एक न्यायालयीन निर्णय ने समाज सशक्तिकरण की संभावनाएँ जागृत कर दी हैं । उच्श्रृंखलता और गुलामी के बीच गुलामी अधिक घातक है और यदि गुलामी के बाद भी उच्श्रृंखलता न रूके तो ऐसी गुलामी को तो तत्काल ही त्याग देना चाहिये । उच्श्रृंखलता का भय दिखाकर राजनैतिक दलाल हमें गुमराह करेंगे किन्तु हमारा कर्तव्य है कि हम सतर्क रहें ।

(ख) प्रश्न – गोविन्दाचार्य जी आपके साथ हैं । अभी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की गृहमंत्री चिदम्बरम् के विरूद्ध की गई टिप्पणी का समर्थन किया है । गोविन्द जी ने नक्सलवाद को सत्ता संघर्ष नहीं मानकर व्यवस्था परिवर्तन का प्रयत्न माना है यद्यपि उनकी नजर में उसका मार्ग हिंसक होना गलत है । गोविन्द जी ने पंद्रह मई को छत्तीसगढ़ में जन अदालत लगाने की योजना बनाई है और अरून्धती राय आदि से भी संपर्क में हैं । ऐसा लगता है कि आपकी और उनकी दिशा अलग अलग हो गई है ।

उत्तर– गोविन्दाचार्य जी एक राजनीतिज्ञ हैं और मैं एक सामाजिक विचारक । हम दोनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है । वानप्रस्थ के पूर्व लोक स्वराज्य के मुद्दे पर हम दोनों साथ साथ रहे । मेरे वानप्रस्थ के

बाद मेरी कुछ सीमाएँ हो गई हैं । दूसरी ओर गैर कांग्रेस गैर भाजपा राजनैतिक संगठन बनाने के क्रम में उन्हें यह दिशा ठीक लगी । मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है ।

मैंने नक्सलवादियों को दस पंद्रह वर्ष पूर्व वैसा ही कहा था जैसा गोविन्द जी ने आज कहा है । मैंने अपनी बात में संशोधन किया क्योंकि मुझे अब उनकी लाईन पूरी तरह सत्ता संघर्ष के आधार पर दिख रही है। मैं सन् चौरासी तक कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विरोधी था । चौरासी से चार तक उसका आलोचक रहा। विरोध कम हुआ । चार से छः तक समीक्षक रहा अर्थात् उसके गुण दोषों की स्वतंत्र समीक्षा तक सीमित रहा। कांग्रेस पार्टी ने नरेगा की जो नीति अपनाई उसके बाद मेरे मन में उसके प्रति प्रशंसा का भाव बन रहा है । कांग्रेस पार्टी जिस न्यूनतम सरकारीकरण की राह पर चल रही है उसका भी मैं प्रशंसक हूँ । मेरे विचार में कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियाँ अन्य दलों की अपेक्षा अधिक अच्छी है ।

गोंविन्द जी की मजबूरी है कि वे कांग्रेस पार्टी की आलोचना करें । मेरी भी मजबूरी है कि मैं सत्य को सत्य ही कहूँ । इस मजबूरी के फर्क को भिन्न राह कहना ठीक नहीं । राह की भिन्नता तो शुरू से ही रही है । कुछ सहमत मुद्दों पर एक साथ चलने की सहमति अब भी बनी हुई है। अभी एक माह पूर्व ही गोविंदाचार्य जी ने कुल केन्द्रीय बजट का सात प्रतिशत धन सीधा ग्राम सभाओं को देने की मांग की थी । मैंने उनका पूरा पूरा समर्थन किया था । यदि समय होता तो मैं समर्थन में जन्तर मन्तर के धरने तक भी जाता । किन्तु सोनिया गांधी के संबंध में मेरे उनके विचारों में आसमान जमीन का फर्क रहा । जब सोनिया के प्रधानमंत्री बनने का विदेशी कहकर गोविंदाचार्य जी ने प्रखर विरोध किया था तब मैं उनसे सहमत नहीं था । मैंने ज्ञान तत्व में लिखा भी था । यदि कोई चाहे तो वह अंक भेज भी सकता हूँ । उसके बाद भी चर्चाओं में सोनिया मुद्दे पर मेरे उनके विचार भिन्न ही रहे । उनके अच्छे कदमों का समर्थन है । शेष की समीक्षा होती रहेगी ।

(ग) प्रश्न–2 संसद समीक्षा टी.वी. पर देख रहा था । केन्द्रीय विद्यालयों में सांसद सिफारिशी कोटे पर चर्चा चल रही थी । अब तक की व्यवस्था अनुसार सांसद दो बच्चों के एडमिशन की सिफारिश कर सकता था । वर्तमान सरकार ने यह सांसद कोटा खतम कर दिया । सांसद इस कोटे को खतम नहीं करना चाहते थे । इस हो हल्ले के पूर्व सांसदों ने शिक्षा मंत्री से पुरजोर मांग की थी कि केन्द्रीय विद्यालयों का लाभ आदिवासी हरिजन गरीब ग्रामीण को नहीं मिल रहा । उन्हें लाभ मिलना चाहिये । संसद की दूसरी मांग थी कि सांसद कोटा शुरू किया जाय । मुंहफट कपिल सिब्बल जी ने संसद सदस्यों की पोल खोल कर रख दी कि सांसदों को प्रति सांसद दो सिफारिश का जो कोटा था उसमें से इक्का दुक्का को छोड़कर सभी सिफारिशों दिल्ली के बच्चों की रही और उसमें भी हरिजन, आदिवासी गरीब का प्रतिशत नही के बराबर ही था ।आपका इस सांसद कोटे के संबंध में क्या विचार है ?

उत्तर – जिस समय कपिल सिब्बल जी ने सांसदों की पोल खोली तो सांसदों का सर शर्म से झुक जाना चाहियें था और उन्हें निरूत्तर हो जाना था किन्तु वे तो सिर झुकाने की बजाय सिर उठाकर जोर जोर से हल्ला करने लगे । मैं दर्शक था । मेरा सर शर्म से झुक गया, किन्तु जिनका झुकना था उनका नहीं झुका। सबसे अधिक शर्म की बात यह थी कि इस मांग के पीछे सभी दलों के सांसदों का समर्थन दिख रहा था। अब आप ही बताइयें कि मैं भारत के किस लोकतंत्र पर गर्व करूँ ? क्या यही लोक तंत्र है जिसमें सांसद अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये किसी भी सीमा तक नीचे उतरने को तैयार हो । आप मेरी पीड़ा को इशारों में ही समझने की कृपा करें अन्यथा संसद को यह भी अधिकार है कि वह मेरे कथन को अवमानना कहकर, मुझे भी शर्म करने के विरूद्ध कोई दण्ड सुना दे । यह दोष न सांसदों का है न संसद का । सच्चाई यह

है कि यह संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का दोष है । जब लोक–तंत्र को नियुक्त ही कर सकता है नियंत्रित नहीं तब आप ऐसी बांझ वैश्या से किस परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं । आप जीवन भर उम्मीदों के भ्रम में पड़े रहेंगे और बांझ और वैश्या आपको ठगती रहेगी । आप उसे समझाने बुझाने की कोशिश बंद करिये क्योंकि दोष उस बांझ वैश्या का व्यक्तिगत नहीं है बल्कि प्राकृतिक है । अच्छा हो कि आप संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य की दिशा दें ।

श्री ईश्वर दयाल जी, राजगीर

(घ) **प्रश्न–** आप लोग भारत विभाजन के लिये जिन्ना को जिम्मेवार ठहराते हैं तथा वीर सावरकर की प्रशंसा करते हैं । लगता है कि या तो आप इतिहास नहीं जानते या जानबूझकर हिन्दुत्व प्रभावित बाते करते रहते है। सच्चाई यह है कि सबसे पहले हिन्दू महासभा ने ही प्रस्ताव पारित किया था कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ नही रह सकते । वीर सावरकर उसके एक भाग थें । मुसलमानों ने तो बहुत वर्ष बाद हिन्दू महासभा की इस मांग को आगे बढ़ाया और उसी का लाभ उठाते हुए जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया। आप लोग गांधी, मुसलमान और जिन्ना की तो आलोचना करते है और सावरकर या राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ की प्रशंसा । इंस संबंध मे आप स्पष्ट करिये।

उत्तर– मुझे आज तक हिन्दू महासभा की इस मांग का न पता था न है । यदि मांग मुसलमानो से पूर्व उठी थी तो मै सावरकर और संघ की पाकिस्तान के सम्बन्ध मे बनी नीति की फिर से सामीक्षा करूँगा । मुझे अब भी नही लगता की कोई हिन्दू ऐसी पहल किया होगा । किन्तु आप इतिहास के जानकार है । और जोर देकर कह रहे है तो मै चुप रहना ही ठीक समझता हूँ । आचार्य पंकज जी हमारे बीच इतिहास के जानकार रहे है । मैने उनसे भी जानकारी ली तो ईश्वर जी के कथन को सच पाया । मै अपने संघ परिवार के साथियों से भी जानना चाहता हूँ कि भारत विभाजन के संम्बन्ध मे स्वतंत्रता पूर्व कट्टरपंथी हिन्दुओं ने पहल की या कट्टरपंथी मुसलमानों ने । चुकि मुझे अपने अब तक के विचारो को ईश्वर जी और पंकज जी के कथन से चुनौती मिली है इसलिये मेरी मजबूरी है कि मै आपका पक्ष भी जानूॅं।

(च) प्रश्न – मेडिकल कौंसिल प्रमुख केतन देसाई दो करोड रूपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए। जॉच के क्रम में उनके घर से बहुत भारी मात्रा में नगद और सोना बरामद हुआ। आई पी. एल. का भ्रष्टाचार भी उजागर हो रहा है । भारत में भ्रष्टाचार की खुलती परतें लोकतंत्र के लिये कितनी शुभ है ? क्या इस तरह कुछ आशा की किरण दिखती है?

उत्तर– बहुत गंभीर प्रश्न है । अभी कुछ महिने पूर्व ही बूटा सिंह जी पर ऐसे ही गंभीर आरोप लग चुके है। मायावती ने आरक्षित वर्ग की होते हुए भी सारे रेकार्ड तोड दिये थे । मायावती जी का रेकार्ड तोडने का काम एक दूसरे आरक्षित वर्ग के मधुकोडा जी ने किया जिन्होने सबसे कम समय में सबसे आधिक धन संग्रह करके प्रमाणित किया कि वर्तमान व्यवस्था में भ्रष्टाचार की क्षमता बहुत ज्यादा है भले ही लोग अपनी कमजोरी के कारण उतना न कर पा रहें हो ।

विचारणीय प्रश्न यह नही है कि ऐसे कितने मामले उजागर हो रहे है बल्कि विचारणीय प्रश्न यह है कि ऐसे प्रयत्नो के परिणाम क्या हो रहे हैं । ऐसे छापे तो पूर्व मे भी पडते रहे हैं जब आम

लोगों ने सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया था । परिणाम क्या हुआ ? भ्रष्टाचार में कमी आई क्या ? मैने बहुत सोचा तो पाया कि इस प्रकार के छापे इस समस्या का समाधान न होकर एक रूटीन वर्क है। किसी ला इलाज रोग की लगातार बढती बीमारी का हम जो कुछ शारीरिक सेवा या रूटीन इलाज करते हैं उससे ज्यादा इन छापे का प्रभाव नहीं । ये छापे कही से ऐसा आभास नहीं करा रहे कि इससे भ्रष्टाचार करने वालों की इच्छा में कोई कमी आ रही हो अथवा भ्रष्टाचार करने वाले भय के कारण अब भ्रष्टाचार कम कर देंगे इन छापों का प्रभाव तो मात्र यही होगा कि ऐसा करन वाले ज्यादा सतर्कता से यह काम करेंगे । साथ ही इन छापों का एक दुष्प्रभाव भी होने वाला है कि आम नागरिकों की सहनशक्ति बढती जायेगी । पहले एक करोड के भ्रष्टाचार का जो प्रभाव था वह अब पचासों करोड़ तक पहुँच गया । केतन देसाई, मधुकोडा उसे सैकडो करोड़ तक ले गये और आइ पी. एल उसे हजारो करोड़ तक ले जायगा

इन छापो के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था एक गलत संदेश भी समाज को दे रही है। ऐसे ऐसे रहस्य खुलने से भारतीय शासन व्यवस्था का सम्मान घटना चाहिये था और समाज में चिन्ता का वातावरण बनना चाहिये था लेकिन इसके ठीक विपरीत इन छापों से समाज में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि सरकार अब बड़ी बड़ी मछलियो पर भी हाथ डाल रही है।

मै जब दिल्ली से अम्बिकापुर आया तब तक मच्छर बहुत बढ़ चुके थे। मै प्रतिदिन मेहनत करके कुछ सौ मच्छर मार देता था किन्तु प्रभाव शून्य था क्योकि बाहर से मच्छरो का आगमन कम नही था। मैने दरवाजे पर जाली लगाकर मच्छरो का आगमन रोका। अब मै पाच दस मच्छर मार देता हूँ और पूरे दिन आराम से रहता हूँ । हम जिस भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे है वह किसी छोटी सीमित इकाई का भ्रष्टाचार नही है । वह तो पूरे भारत की शासन व्यवस्था का भ्रष्टाचार है। जब तक भ्रष्टाचार के कुल उत्पादन और नियंत्रण क्षमता का ठीक आकलन नही होगा तब तक कोई परिणाम आ ही नही सकता। हमारी भ्रष्टाचार नियंत्रण की क्षमता करीब दो प्रतिशत मानी जाती है । सम्पूर्ण भारत की कुल अपराध नियंत्रण शक्ति का औसत दो प्रतिशत ही है । दूसरी ओर भ्रष्टाचार की उत्पादन क्षमता इससे कई गुना ज्यादा है । जितना ही भ्रष्टाचार बढता है उतनी ही आपकी नियंत्रण क्षमता कम होती जाती है क्योकि नियंत्रण व्यवस्था मे भी तो भ्रष्टाचार बढ रहा है । ऐसी स्थिति मे आप भ्रष्टाचार को तब तक नही रोक सकते जब तक आप इसके उत्पादन अवसरों को कम नही कर देते क्योकि नियंत्रण क्षमता बढाने के लिये आपको पहले भ्रष्टाचार कम करना होगा । ऐसा आज तक कोई उपाय निकला ही नही हैं कि यदि भ्रष्टाचार नियंत्रण क्षमता से ज्यादा है तो बिना कम किये हम नियंत्रण क्षमता बढा ले । यह बिल्कुल असंभव कार्य है । हमे सबसे पहले भ्रष्टाचार का विस्तार रोकना ही होगा और इसका एक ही समाधान है ''सम्पूर्ण निजीकरण'' अनिवार्य व्यवस्थाओ को छोडकर सम्पूर्ण सरकारी करण की समाप्ति से ही पहल हो सकती है। जब भ्रष्टाचार की उत्पत्ति के मार्ग बन्द हो जायगें तब आप जोर से आक्रमण करके कुछ परिणाम ला सकते हैं।

मै जानता हूॅ कि सारे भ्रष्ट लोग ऐसी व्यवस्था का विरोध करेंगे । केतन देसाई, बूटा सिंह, मधुकोडा, मायावती सरीखे लाखों सम्मानित लोग अब भी ऐसे अपराधो का लाभ उठा रहे है । ये जान दे देगे किन्तु सरकारीकरण को कम नही करने देंगे यदि बिल्लियों की रोटी बराबर करने का कार्यक्रम ही बन्द हो गया तो बन्दर जिन्दा कैसे रहेगा। बन्दर की यह मजबूरी है कि वह बिल्लियों के हित मे ऑसू बहा बहा कर रोटी समानीकरण योजना को कभी बन्द न होने दे। हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था का हाल ऐसा ही है । इसलिये भ्रष्टाचार की चाहे कितनी भी परते क्यो न खुल जावे इसमे कोई कमी तो होगी ही नही । इसके

विपरीत इसे बढते ही जाना है क्योकि नित्य नये नये रहस्योद्‌घाटन भ्रष्टाचार वृद्धि के प्रमाण दे रहे है न कि नियंत्रण का आश्वासन ।

समाज इसके लिये अभी कुछ नही कर सकता । दो वर्ष पूर्व सम्पन्न आम चुनावों ने हल्की सी उम्मीद बंधाई है। बुद्ध देव भट्टाचार्य ,शिवराज सिंह , रमन सिंह, नितिश कुमार, येदुरप्पा , बाबूलाल मराण्डी , नरेन्द्र मोदी , सोनियॉ गांधी , मनमोहन सिंह , चिदम्बरम् , आदि की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढी है और लालू, मुलायम , मायावती , रामविलास , प्रकाश करात, जय ललिता , अजीत जोगी , शिबूसोरेन , मधुकोड़ा आदि की घटी है । स्पष्ट दिखता है कि लालकृष्ण आडवानी , उमा भारती , दिग्विजय सिंह, राजनाथ सिंह , वसुन्धरा राजे सरीखे दिग्गज भी अपनी छवि बढा तो नही पाये भले ही कुछ न कुछ घटी ही है । राजनैतिक दलो के रूप मे भी कांग्रेस कुछ उपर गयी है, भाजपा स्थिर है तथा अन्य सभी दलों की गिरी है। ममता बनर्जी की छवि भी जाने वाली है । इस तरह समाज अपने तरीके से चुपचाप ऑपरेशन शुरू कर चुका है किन्तु अभी इस सम्बन्ध मे आस्वस्त होकर कुछ कहना संभव नही हैं।

मैं तो यही कह सकता हूँ। कि भ्रष्टाचार नियंत्रण हमारी पहली आवश्यकता है और सम्पूर्ण निजीकरण उसका तात्कालिक समाधान । बाद में हम धीरे धीरे निजीकरण का समाजीकरण करते रहेंगे किन्तु अभी समाजीकरण संभव नहीं दिखता ।

घटनाएॅ

(छ) इस अप्रैल माह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी जब दिल्ली के मेवाड़ कॉलेज में दो विपरीत विचारों के प्रमुख लोग एक साथ बैठे । दिनांक दस अप्रैल से चौदह अप्रैल तक मेवाड़ कॉलेज में गांधी कथा का आयोजन हुआ । कथा गांधी जी की जीवनी पर आधारित थी और नारायण भाई देसाई सुना रहे थे । इस कथा की व्यवस्था रामबहादुर जी राय, बाबूलाल जी शर्मा तथा अशोक गाड़िया जी कर रहे थे ।

पांच दिनों तक कथा चली । श्रोताओं में धुर विरोधी संघ परिवार और सर्वोदय परिवार एक साथ घुल मिलकर बैठे थे । जिन विपरीत संस्कार वाले दो कट्‌टरवादी समूहों के लोगों को एक साथ बिठाने के बीस वर्ष के प्रयत्नों के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया उन्हें राय साहब, गदिया जी, बाबूलाल जी ने गांधी कथा के नाम पर एक साथ बिठाने में सफलता पा ली इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं अन्यथा मैं और ठाकुरदास जी बंग तो हार ही मान चुके थे । मैने तो छः माह पूर्व ही हार मानकर कह दिया था कि इन दोनों साम्प्रदायिक धड़ों को एक साथ बिठाना असंभव है । एक धड़ा कायरता की सीमा तक अहिंसक है तो दूसरा आतंक की सीमा तक हिंसक । एक इस सीमा तक संघ विरोधी है कि धुर कट्‌टरवादी इस्लाम तथा हिंसक नक्सलवाद की प्रशंसा तक से परहेज नहीं करता तो दूसरा इस सीमा तक इस्लाम विरोधी है कि गांधी हत्या तक को उचित बताने से नहीं चूकता । एक गांधी के नाम पर टाइम पास करने से अधिक कुछ करना नहीं चाहता तो दूसरा येन केन प्रकारेण राजनैतिक सत्ता के लिये छटपटा रहा है । बीच में मैं पिस रहा था । अच्छा हुआ कि गांधी कथा के माध्यम से एक अच्छी शुरूआत हुई ।

यह कथा अन्य कथाओं से हट कर थी । पूरी कथा सत्य घटनाओं पर आधारित थी । कथा की प्रस्तुति साफ सुथरी थी । कहीं किस्से कहानी या कला का समावेश नहीं था । कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई जा रही थी। पूरी कथा की प्रस्तुति इस तरह थी कि उसमें तर्क और भावना का पूरा पूरा संतुलन रहा । एक बात से कथाकार नारायण भाई यदि बचते तो अधिक अच्छा था कि उन्हें कथा के बीच खादी

बिक्री का निवेदन नहीं जोड़ना चाहिये था क्योंकि गांधी कथा और खादी विक्रय की अपील को पृथक पृथक रखना अधिक अच्छा है । कुल मिलाकर कथा प्रभावशाली थी । कथाकार तथा आयोजकों को पुनः बधाई।

कथा के आयोजन की भौतिक समीक्षा के बाद मैं बौद्धिक समीक्षा करूँ । गांधी कथा के बाद मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि संघ परिवार और साम्यवादियों को स्वतंत्रता के प्रयत्नों से कुछ लेना देना नहीं था । आर्य समाज पूरी इमानदारी से स्वतंत्रता संघर्ष में लगा था यद्यपि वह दो भागों में बटकर था **1.** गांधी योजना के साथ **2.** क्रान्तिकारियों के साथ । क्रान्तिकारी पूरी इमानदारी से स्वतंत्रता संघर्ष में लगे थे किन्तु उन्हें गांधी मार्ग पर विश्वास नहीं था । बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता के लिये गांधी के साथ खड़े थे। किन्तु चार लोग ऐसे भी थे जो स्वतंत्रता संघर्ष को सत्ता संघर्ष के रूप में देख रहे थे और ऐसे सत्ता संघर्ष में सफलता के लिये गांधी का समर्थन उनकी मजबूरी थी । ये चार लोग थे जिन्ना, नेहरू, पटेल, और अम्बेडकर । ये चार लोग स्वतंत्रता के पूर्व से ही सत्ता की तिकड़म करते रहे । इनमें पटेल पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव होने से वे एक सीमा से अधिक नीचे नहीं उतर पाते थे किन्तु शेष तीन पर भारतीय संस्कृति की अपेक्षा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अधिक था । इसलिये वे कितना भी नीचे उतर सकते थे ।

इन तीन के सत्ता संघर्ष में भी जिन्ना की ब्लैक मेंलिंग क्षमता अम्बेडकर से अधिक थी । जिन्ना के साथ मुस्लिम बहुमत था और नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन। राजेन्द्र बाबू , मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, लोहिया, जय प्रकाश आदि या तो सत्ता संघर्ष की अपेक्षा स्वतंत्रता के पक्ष में अधिक सक्रिय थे या वे इतना नीचे नहीं उतर सके जितना ये तीन । ये सब सत्ता संघर्ष से बाहर हो गये । जिन्ना नहीं माने क्योंकि उनके हाथ में ब्लैक मेलिंग पावर ज्यादा था, नेहरू के सामने कोई मानने न मानने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि वे तो बन ही रहे थे और अम्बेडकर अन्त तक तिकड़म करते रहे ।

एक बात मेरे लिये नयी थी कि जिन्ना द्वारा पाकिस्तान ले लेने और नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना देने के बाद गांधी ने शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हुए नेहरू की इच्छा के विरूद्ध अम्बेडकर को नेहरू के उपर लाद दिया । गांधी यह भूल गये कि अम्बेडकर पर **1.** भारतीय संस्कृति का प्रभाव शून्य है **2.** सत्ता लोलुपता नख से शिख तक भरी है **3.** हिन्दू धर्म के प्रति घृणा न होकर प्रतिक्रिया की ज्वाला जल रही है। विदित हो कि तब तक अम्बेडकर घोषित कर चुके थे कि वे हिन्दू धर्म में पैदा तो हुए है किन्तु हिन्दू धर्म में मरेंगे नहीं । मेरे विचार में गांधी जी को राज काज की दैनिक व्यवस्था में सलाह तक सीमित रहना चाहिये था किन्तु उन्होंने दबाव बनाकर अम्बेडकर को नेहरू पर लाद दिया । नेहरू और जिन्ना से अम्बेडकर कई गुना अधिक सक्षम कूटनीतिज्ञ थे । अम्बेडकर में कोई ऐसी बुरी लत भी नहीं थी । एक एक क्षण का उपयोग भी करते थें और सबसे बड़ी क्षमता यह थी कि ब्लैक मेलिंग और समझौते की ठीक ठीक सीमा रेखा समझते थे । नेहरू ने गांधी की बात मानकर अम्बेडकर को अपने कंधे पर सवार कर लिया और उसका परिणाम है कि देश नेहरू अम्बेडकर को आज तक ढो रहा है ।

समूचे घटना क्रम में यदि किसी का सर्वाधिक उज्जवल चरित्र रहा तो वह था आर्य समाज का। आर्य समाज ने पूरी इमानदारी से स्वतंत्रता संघर्ष में साथ दिया और स्वतंत्रता के बाद स्वयं को सत्ता संघर्ष से अलग कर लिया । जबकि दूसरी ओर साम्यवादी और संघ परिवार को देखिये जो स्वतंत्रता संघर्ष में तो नहीं दिखे किन्तु स्वतंत्रता के बाद पहले नम्बर के देशभक्त की कतार में आगे आगे दौड़ पड़े । मैने तो यहॉ तक सुना है कि साम्यवादी स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों की भी मदद करते रहते थे । खैर, यह

उनके लिये कोई नयी बात नहीं । लेकिन आर्य समाज का इस तरह सत्ता संघर्ष से पीछे हटना एक अत्यन्त ही सम्मान जनक कार्य था जो उसने किया । मैं आर्य समाज को इस त्याग के लिये धन्यवाद देता हूॅ । किन्तु जब गांधी भी नहीं रहे और सुभाष भी नहीं रहे तब भारत की शासन व्यवस्था को भूखे भेड़ियों के जिम्मे छोड़ देना कितना ठीक था ? आर्य समाज को सत्ता संघर्ष में नहीं कूदना था और न कूदकर उसने अच्छा किया किन्तु उसे सत्ता और समाज के बीच एक सेतु का काम तो करना था जो उसने नहीं किया । आज समाज की जो दुर्गति हो रही है उसका समाधान कौन करेगा ? आर्य समाज के अर्न्तराष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी की गतिविधियॉ तो आर्य समाज देख ही रहा है । मुझे तो लगता है कि ये महाशय जी स्वतंत्रता के समय होते तो अम्बेडकर ,जिन्ना, और नेहरू से रत्ती भर भी कम नहीं होते । बड़ी मुश्किल से आर्य समाज ने बाबा रामदेव पर कुछ उम्मीद लगाई । उन्हें राजनीति में बुराई के विरूद्ध अच्छाई को सशक्त करना चाहिये था । मनमोहन सिंह, सोनिया, रमणसिंह , नीतिश कुमार , नरेन्द्र मोदी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसों की टीम को मजबूत और लालू मुलायम, मायावती, जयललिता, अजीत जोगी, जैसों की टीम को कमजोर किन्तु दुर्भाग्य है कि वे यह भेद नहीं कर पाये और स्वयं सत्ता संघर्ष में कूद पड़े । गांधी भी चाहते तो सत्ता संघर्ष में कूद जाते और चार माह बाद मारे जाते तो उनका नाम लेवा भी नहीं मिलता । स्वामी जी को कौन समझाए कि उनका मार्ग सिद्धान्तः गलत है । वे एक सन्यासी हैं। सन्यासी को व्यवस्था परिवर्तन तक ही सीमित रहना चाहिये न कि हथियार उठाने की भूल करनी चाहिये। बाबा रामदेव अब तक न गांधी बन पाये हैं न कृष्ण । अभी तो समाज ने उन पर विश्वास करना शुरू की किया है किन्तु शुरू में ही उन्होंने ब्रम्हास्त्र चलाना शुरू कर दिया । हम सब जो रामदेव जी से काफी उम्मीद रखते हैं उनकी समझ में नही आ रहा कि क्या करें ?

गांधी कथा के बाद मेरे मन में जो विचार उठे उन विचारों को अक्षरशः आपके पास समीक्षार्थ भेज रहा हूॅ । आशा है कि आप समीक्षा लिखने की कृपा करेंगे ।